राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस विज्ञप्ति

एफ.7(28) परीक्षा 'क' / प्रधानाध्यापक. / 2017-18 / **दिनांक 26.07.2019**

प्रधानाध्यापक (मा.वि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची आयोग द्वारा दिनांक 19.07.2019 को जारी की गई है। उक्त सूची में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के माध्यम से पात्रता जाँच की जावेगी, पात्रता जाँच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया जावेगा। आयोग द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग दिनांक 06.08.19 से 09.08.19 तक आयोग कार्यालय में विचारित सूची में अंकित रोल नम्बर वाईज (रोल न0 100009 से 126991 तक कुल 600) आयोजित की जा रही है शेष चरणों की काउंसलिंग की सूचना आयोग द्वारा यथा समय जारी कर दी जायेगी। विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम, अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पत्र आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर जारी किये जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 30.07.2019 से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार काउंसलिंग में स्वयं उपस्थित होंवें। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अलग से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा। आयोग द्वारा आगामी चरण की काउंसलिंग कार्यकम यथासमय जारी कर दिया जावेगा इस हेतु अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी नही करके केवल प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किया जावेगा, अतः उक्त सूची में सफल अभ्यर्थी आगामी काउसंलिग कार्यकम की जानकारी हेतु समय-समय आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें ।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा काउंसलिंग पत्र के साथ जारी **"अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा-निर्देशों"** को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(के0के0 शर्मा)
सचिव